रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2009/ज्येष्ठ 27, 1931

No. 937] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2009/JYAISTHA 27, 1931

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

का.आ. 1505(अ).—चूंकि मै. पार्बती-कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, अनुज्ञप्तिधारी, जिसका निगमित कार्यालय तृतीय तल, बिल्डिंग नं. 20 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है और जो हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्य के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 14-11-2008 को पत्र सं. 11/1/2008-पीजी के द्वारा, विभिन्न गांवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, रेलवे लाइनों, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग 303.50 कि.मी. की निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों नामत: :—

(i) पार्बती-कोलडैम 400 केवी क्वाड कंडक्टर 2xएस/सी लाइनें।

(ii) कोलडैम-लुधियाना 400 केवी डी/सी ट्रिपल स्नोबर्ड कंडक्टर लाइन।

के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।

और चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियाँ उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा, स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं।

अत:, अब, पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत विद्युत की अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए वो सभी शक्तियाँ, निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए या अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु तार लाइनें एवं खंबे लगाने के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं :—

(i) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी ;

(iii) अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण, ओ. एंड एम., खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी इन लाइनों का उपयोग पार्बती-II जल विद्युत परियोजना तथा कोलडैम जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी के लिए तथा उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न लाभग्राही राज्यों में उपभोग हेतु संवितरण के लिए करेगा;

(v) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा;

(vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है ।

[फा. सं. 11/12/2009-पीजी]

लोकेश चन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2009

S.O. 1505(E).—Whereas M/s. Parbati-Koldam Transmission Company Limited, the licensee, with its corporate office at 3rd Floor, Building No. 20, Nehru Place, New Delhi-110019, being a licensee for Interstate transmission of electricity having a license under the Electricity Act, 2003 for the States of Himachal Pradesh and Punjab; has applied for approval of the Government of India, Ministry of Power;

And whereas on 14-11-2008, *vide* letter No. 11/1/2008-PG, the Government of India, Ministry of Power, had granted to the Licensee approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for the following Inter-State Transmission Lines, namely :—

(i) Parbati - Koldam 400 kV Quad conductor 2x S/c lines.

(ii) Koldam - Ludhiana 400 kV D/c Triple Snowbird conductor line.

of approximately 303.50 Km passing through agriculture lands of various villages, crossing over the National and State Highways, Railway Lines, Local Authority Area etc.;

And whereas the licensee has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the Licensee which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :

(i) the approval is granted for 25 years;

(ii) the Licensee shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) Licensee shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc.;

(iv) the Licensee shall use these lines for evacuation of power from Parbati II HE Power Project and Koldam HE Power Project and disperse the same for consumption amongst various beneficiary States of Northern Region;

(v) the Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;

(vi) the approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. 11/12/2009-PG]

LOKESH CHANDRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.